दिनांक 06.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 08/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद सोनभद्र/थाना कोन</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 कार (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 06.11.2024 को थाना कोन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चाचीकला पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–कामरान सहित अभियुक्त 2–बाबू 3–पियुष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 कार (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कामरान शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सोनभद्र व कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में लूट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कामरान जनपद सोनभद्र से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–कामरान निवासी ग्राम शेरपुर विशेश्वरपुर थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

2–बाबू निवासी मचलहट्टा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

3–पियुष निवासी मचलहट्टा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1–02 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–01 कार (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद फतेहपुर/थाना मलवां

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 06.11.2024 को थाना मलवां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैंची मोड़ के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अनुराग घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–आलोक सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 हजार 200 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 कार आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना मलवां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनुराग निवासी ग्राम सरसई बड़ी थाना खागा जनपद फतेहपुर।

2–आलोक निवासी ग्राम सरसई बड़ी थाना खागा जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–04 हजार 200 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 कार आदि।

कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना धूमनगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 03 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 06.11.2024 को थाना धूमनगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कोडरा के पास से अभियुक्त आशीष उर्फ हगनी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 03 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.11.2024 को थाना धूमनगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धूमनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना धूमनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशीष उर्फ हगनी निवासी भागलपुरवा थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 03 मोबाइल फोन आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–113

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 दो पहिया वाहन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 05.11.2024 को थाना सेक्टर–113 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एफएनजी मोड़ से 1–अनुज कुमार 2–सचिन को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 दो पहिया वाहन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध थाना सेक्टर–113 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अनुज कुमार निवासी नंगला बक्श थाना सोरिख जनपद कन्नौज हालपता:ग्राम सलारपुर थाना सेक्टर–39 गौतमबुद्धनगर।

2–सचिन निवासी गोयल कालोनी रामलीला मैदान भंगेल थाना फेस–02, गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 09 दो पहिया वाहन।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–02</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **2600/–रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.11.2024 को थाना फेस–02 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एटीएस तिराहा पर बदमाश की घेरान्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जितेन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 2600/–रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–02 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—जितेन्द्र निवासी रनियामऊ थाना पिहानी जनपद हरदोई हालपता—ग्राम देवला थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—2600/—रूपये नगद।

2—01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(1) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अजय को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना इब्राहिमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10—10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 02—02 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना इब्राहिमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—दुर्गाप्रसाद उर्फ रूपल 2—सोमनाथ उर्फ आदर्श 3—अभियुक्ता को 10—10 वर्ष के सश्रम कारावास व 02—02 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफ–थाना मछली शहर, जनपद जौनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अपराधी आशीष जायसवाल जनपद जौनपुर से गिरफ्तार।

दिनांक 06–11–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना मछली शहर, जनपद जौनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0ः 126/2024 धाराः 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आशीष जायसवाल को जनपद जौनपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

आशीष जायसवाल पुत्र रामजी जायसवाल निवासी हबुसामोड़, थाना सरायइनायत, जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

सोहासा मिश्रान गेट के पास तरहटी रोड, थाना क्षेत्र मुँगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर। दिनांकः 06–11–2024, समय 15ः15 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, अजय कुमार यादव, रोहित सिंह, सोनू व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम दिनांक 06–11–2024 को जनपद जौनपुर के थानाक्षेत्र मुँगरा बादशाहपुर में आपराधिक अभिसूचना संकलन में भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना मछली शहर, जनपद जौनपुर से गैंगेस्टर के अभियोग में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अपराधी आशीष जायसवाल उपरोक्त सोहासा

मिश्रान गेट के पास तरहटी रोड, थाना क्षेत्र मुँगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर के पास मौजूद है, जो कहीं बाहर भागने की फिराक में है। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष जायसवाल उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि हम लोग रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड पर यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर व सुँघाकर उनके सामान व पैसों की चोरी कर लेते हैं तथा जो सामान व पैसा पाते हैं, उससे अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसके गैंग का सरगना राजू जायसवाल पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद जायसवाल निवासी करसड़ा, थाना कछवा, जनपद मिर्जापुर है, जिनके साथ वह दिनांक 09–11–2023 को जंघई रेलवे स्टेशन गया था, जहॉ पर मुम्बई से आने वाली काशी एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने वाले उम्रदराज यात्री के हाथ में बक्सा आदि सामान था, जिसके पीछे–पीछे हम लोग मछली शहर तक जाने वाली बस में बैठ गये और उस व्यक्ति का बक्सा लदवाने में मदद किये फिर जब वह आदमी बस में बैठा तो उसी सीट पर बगल में राजू जायसवाल भी बैठ गया तथा वह बगल वाली सीट पर बैठा था। कुछ देर बाद राजू जायसवाल उस व्यक्ति को नशीला पदार्थ मिलाया हुआ बिस्किट व नमकीन खिलाया, जिससे कुछ देर बाद वह यात्री बेहोश हो गया। जब बस मछली शहर पहुँची तो हम दोनों पहले ही उसका बक्सा उतार कर ई–रिक्शा से मुँगरा बादशाहपुर तिराहा चले आये और वहॉ से प्रयागराज की बस में जाकर आखिरी वाली सीट पर बैठ गये तथा बक्सा खोलकर देखा तो उसमें 50 हजार रूपये, डायरी सहित एटीएम निकाल लिया और मुँगरा बादशाहपुर व फूलपुर के बीच में बस रूकवाकर हम लोग बक्सा बस में छोड़कर उतर लिये। एटीएम का पिनकोड डायरी में लिखा हुआ था, जिससे हम दोनों लोग विभिन्न एटीएम से पैसे निकालकर पेट्रोल व डीजल तथा ट्रक का टायर आदि सामान खरीदें जब एटीएम से पैसा निकलना बन्द हो गया तो एटीएम कार्ड व डायरी को गंगा नदी में फेंक दिया। उक्त घटना के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी होने पर हम लोग इधर–उधर लुक छिप कर रहने लगे। काफी समय व्यतीत होने के बाद हम लोग पुनः घटनाओं को अन्जाम देने के लिए

योजना बना रहे थे कि दिनांक 25—12—2023 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उक्त घटित घटनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 01—05—2024 को थाना मछली शहर, जनपद जौनपुर पर मु0अ0सं0 126/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम—1986 का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें उसके ऊपर रू0 50,00/— का पुरस्कार भी घोषित हुआ है। पुरस्कार घोषित होने की जानकारी होने पर वह गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर—उधर लुक छिप कर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष जायसवाल उपरोक्त को थाना मछली शहर, जनपद जौनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम—1986 में थाना मुॅगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष जायसवाल उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :—

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	291/2023	328/379/411 भादवि	मछलीशहर	जौनपुर
2	320/2023	307/379/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 8/22 एनडीपीएस एक्ट।	मछलीशहर	जौनपुर
3	126/2024	3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप अधि0 **(वांछित/पुरस्कार)**	मछलीशहर	जौनपुर

——————